# 22. वित्त आयोग

भारत के संविधान में अनुच्छे 280 के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुर्ननियुक्ति भी हो सकती है।

संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए-

- किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति।
- ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।
- एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन या वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो।
- ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।

## कार्य

निम्नलिखित मामलों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ संस्तुतियों के लिए वित्त आयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है-

- करों के सही बंटवारे और राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के सही निर्धारण के लिए।
- केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के सही निर्धारण (निश्चित कोष से अलग) के लिए।
- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगर पालिकाओं, पंचायत आदि के लिए नियमित राशि व आवश्यकता के अनुरूप उसका आकलन और संसाधनों का निर्धारण।
- राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तर्कसम्मत वित्तीय-मामले या अन्य कार्यों के लिये।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है।

यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाह की तरह होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे।

### वित्त आयोग के अध्यक्ष

| क्र.सं | आयोग | वर्ष | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम वित्त आयोग | 1951-1953 | के.सी. नियोगी |
| 2. | द्वितीय वित्त आयोग | 1956-1957 | के. संथानाम |
| 3. | तीसरा वित्त आयोग | 1960-1962 | ए.के. चन्दा |
| 4. | चौथा वित्त आयोग | 1964-1965 | डॉ. पी.वी. राजमन्नार |
| 5. | पांचवा वित्त आयोग | 1968-1969 | महावीर त्यागी |
| 6. | छठा वित्त आयोग | 1972-1973 | पी. ब्रह्मानंद रेड्डी |
| 7. | सातवां वित्त आयोग | 1977-1978 | जे.पी. सेलट |
| 8. | आठवां वित्त आयोग | 1982-1984 | वाई.वी. चव्हाण |
| 9. | नौवां वित्त आयोग | 1987-1989 | एन.के.पी. साल्वे |
| 10. | दसवां वित्त आयोग | 1998-1994 | के.सी. पंत |
| 11. | ग्यारहवां वित्त आयोग | 1998-2000 | ए.एम. खुसरो |
| 12. | बारहवां वित्त आयोग | 2002 | डॉ. सी. रंगराजन |
| 13. | तेरहवाँ | 2007 | विजय एल. केलकर |

## भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारत के संविधान (अनुच्छेद 148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है जिसे संक्षेप में 'महालेखा परीक्षक' कहा गया है। यह भारतीय लेखापरीक्षण और लेखाविभाग का मुखिया होता है। यह लोगों की जेब का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है।

## नियुक्ति एवं कार्यकाल

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित वचन/शपथ लेता है–

- भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा के साथ वफादार रहेगा।
- भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।
- बिना किसी भेदभाव, डर आदि के अपने कर्त्तव्यों का संपूर्ण योग्यता, ज्ञान एवं न्याय के साथ निर्वहन करेगा।
- संविधान एवं कानून का पालन करेगा।

इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है।

## स्वतंत्रता

- इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है।
- इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।
- नियुक्ति के बाद इसके वेतन, अधिकार, छुट्टियां, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित है।

## कर्त्तव्य और शक्तियां

संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं–

- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है।
- वह अन्य इकाइयों जैसे-निगम, कंपनियों आदि को केंद्र एवं राज्य राजस्व से मिलने वाली वित्तीय मदद का लेखा परीक्षण करता है।
- वह अन्य प्राधिकरणों जैसे स्थानीय इकाइयों के लेखा परीक्षण भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के आग्रह पर करता है।
- केंद्र एवं राज्य के लेखा प्रपत्र विवरण को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- वह कर आदि को प्रमाणित एवं कार्यान्वित करता है।
- संसदीय समिति के सार्वजनिक लेखा मामलों के संबंध में वह दिशा निर्देशक, मित्र एवं दार्शनिक की तरह कार्य करता है।

वह राष्ट्रपति के सम्मुख तीन लेखा परीक्षण रिपोर्टों को रखता है :–

- आनुमानिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट।
- वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट।
- सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट।